न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 06/2024

अपीलार्थी

1.गजेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही
2.कुलदीपसिंह पुत्र हीरसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री चेतन रावल, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 15 जुलाई, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 17/2023 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रावल ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रृटि की है। हल्का पटवारी, कालन्द्री अपने मुकदमें को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धांत हैं कि वादी अपने पैरों पर खड़ा हों, अर्थात प्रार्थी को अपना केस साबित करना था, अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अनदेखी कर अपीलार्थीगण को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने, तथा जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है एवं न ही अवैध कब्जा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। जिससे अपने पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि को अपीलार्थीगण नियमन कराने के अधिकारी है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ निर्णय दिनांक [illegible].2023 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस [illegible] यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा संवत 2080 में [illegible] ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का, कालन्द्री के खसरा संख्या 3669 रकबा 0.4800 [illegible] वरडा राजकीय भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमण [illegible] की रिपोर्ट प्रस्तुत

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

करने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये। विवादित भूमि राजस्व भू अभिलेख राजकीय बिलानाम किस्म वरडा दर्ज है जिस पर अपीलार्थीगण ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया जाना पाया जाने से बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वितीय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2080 में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 3669 रकबा 0.4800 हेक्टेयर किस्म वरडा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया, लेकिन अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री के खसरा संख्या 3669 रकबा 0.4800 हेक्टेयर किस्म वरडा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी [illegible] होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक [illegible] होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15 जुलाई, 2024 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *